

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	59.86	86136.42	86196.28	217.47	90775.55	90993.02	196.47	92727.00	92923.47	151.75	115326.84	115478.59	
पूँजी	23.53	...	23.53	41.53	...	41.53	3.53	...	3.53	178.25	...	178.25	
जोड़	83.39	86136.42	86219.81	259.00	90775.55	91034.55	200.00	92727.00	92927.00	330.00	115326.84	115656.84	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	34.56	34.56	...	39.44	39.44	...	36.17	36.17	...	39.87	39.87
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
2. खाद्य सस्मिडी													
2.01 खाद्य सस्मिडी	2408	...	85000.00	85000.00	...	80000.00	80000.00	...	79999.98	79999.98	...	56000.00	56000.00
2.02 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान	2408	10000.00	10000.00	...	12000.02	12000.02	...	59000.00	59000.00
जोड़- खाद्य सस्मिडी		...	85000.00	85000.00	...	90000.00	90000.00	...	92000.00	92000.00	...	115000.00	115000.00
3. चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण पर सस्मिडी	2408	...	4.00	4.00	...	5.00	5.00	...	7.50	7.50	...	5.00	5.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	4.78	4.78	...	0.01	0.01
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के जरिए व्याज सहायता	2408	...	30.50	30.50	...	30.50	30.50	...	9.60	9.60
6. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना 2007	2408	...	51.73	51.73	...	116.12	116.12	...	90.00	90.00
7. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के हैंडलिंग में कमी की प्रतिपूर्ति	2408	50.73	50.73	...	42.75	42.75
8. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सस्मिडी	2408	...	617.03	617.03	...	318.34	318.34	...	318.34	318.34
9. चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, 2014	2408	100.00	100.00
10. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	6.65	6.65	...	21.34	21.34	...	19.17	19.17	...	22.50	22.50
11. चीनी विकास निधि													
11.01 को अंतरण	2408	...	400.00	400.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
11.02 से	2408	...	-45.60	-45.60	...	-94.09	-94.09	...	-79.17	-79.17	...	-127.50	-127.50
	6860	...	-600.00	-600.00	...	-600.00	-600.00	...	-600.00	-600.00	...	-500.00	-500.00
जोड़		...	-645.60	-645.60	...	-694.09	-694.09	...	-679.17	-679.17	...	-627.50	-627.50
कुल		...	-245.60	-245.60	...	-444.09	-444.09	...	-429.17	-429.17	...	-377.50	-377.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
12. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	16.37	31.61	47.98	7.37	36.81	44.18	5.15	32.57	37.72	9.75	36.97	46.72
	4408	0.25	...	0.25	0.53	...	0.53	0.53	...	0.53	2.25	...	2.25
	जोड़	16.62	31.61	48.23	7.90	36.81	44.71	5.68	32.57	38.25	12.00	36.97	48.97
13. भारतीय खाद्य निगम के अर्थोपाय अग्रिम (एफसी आई)													
13.01 अर्थोपाय अग्रिम	6408	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
13.02 घटाइए- अदायगियां	6408	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
	कुल
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण नागरिक आपूर्ति		16.62	85500.70	85517.32	7.90	90134.76	90142.66	5.68	92090.76	92096.44	12.00	114786.97	114798.97
14. ग्रामीण अनाज बैंक	3456	0.99	...	0.99	1.80	...	1.80
15. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	3456	1.25	...	1.25	7.12	...	7.12	6.26	...	6.26	6.63	...	6.63
	3601	41.25	...	41.25	168.86	...	168.86	158.51	...	158.51	103.73	...	103.73
	3602	6.00	...	6.00	3.51	...	3.51
	जोड़	42.50	...	42.50	181.98	...	181.98	164.77	...	164.77	113.87	...	113.87
16. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	1.16	1.16	...	1.34	1.34	...	0.07	0.07
17. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्ति	3456	0.01	0.01
जोड़-नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता उद्योग		43.49	1.16	44.65	183.78	1.35	185.13	164.77	0.07	164.84	113.87	...	113.87
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	23.28	...	23.28	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	26.00	...	26.00
19. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	110.00	110.00	...	150.00	150.00
20. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	82.50	82.50	...	75.00	75.00
21. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	332.50	332.50	...	200.00	200.00
22. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		23.28	600.00	623.28	3.00	600.00	603.00	3.00	600.00	603.00	26.00	500.00	526.00
23. गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ करना	2408	2.00	...	2.00	1.43	...	1.43	5.00	...	5.00
24. * राष्ट्रीय खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोगों की स्थापना	2408
	4408
	जोड़
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
25.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोग को नॉन बिल्डिंग के लिए सहायता	2408	0.14	...	0.14	
		3601	0.58	...	0.58	
		3602	0.06	...	0.06	
		जोड़	0.78	...	0.78	
26.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	24.32	...	24.32	25.12	...	25.12	22.35	...	22.35	
		4552	38.00	...	38.00	150.00	...	150.00	
		जोड़	62.32	...	62.32	25.12	...	25.12	172.35	...	172.35	
कुल जोड़			83.39	86136.42	86219.81	259.00	90775.55	91034.55	200.00	92727.00	92927.00	330.00	115326.84	115656.84

* यह प्रावधान 1.00 लाख से कम है (2013-14 में आयोजना व्यय)।

	विकास शीर्ष	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			
		आं. व. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. बा. सं.	जोड़	आं. व. बा. सं.	जोड़	आं. व. बा. सं.	जोड़	आं. व. बा. सं.	जोड़		
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
18.01	भारतीय खाद्य निगम	12408	23.28	...	23.28	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	26.00	...	26.00
18.02	केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	76.86	76.86	...	157.72	157.72	...	157.10	157.10	...	160.23	160.23
18.03	भारतीय खाद्य निगम	22552	38.00	...	38.00	150.00	...	150.00
जोड़			23.28	76.86	100.14	41.00	157.72	198.72	3.00	157.10	160.10	176.00	160.23	336.23
ग. योजना परिव्यय														
1.	खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	39.90	76.86	116.76	12.90	157.72	170.62	10.11	157.10	167.21	43.78	160.23	204.01
2.	नागरिक आपूर्ति	13456	43.49	...	43.49	183.78	...	183.78	164.77	...	164.77	113.87	...	113.87
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	62.32	...	62.32	25.12	...	25.12	172.35	...	172.35
जोड़			83.39	76.86	160.25	259.00	157.72	416.72	200.00	157.10	357.10	330.00	160.23	490.23

1. **सचिवालय व्यय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **खाद्य राजसहायता:** खाद्य राजसहायता की मदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए निम्न हेतु आवंटन शामिल

(क) भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं को देने हेतु उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) बफर स्टॉक/ रणनीतिक रिजर्व को रखने की लागत।

हैं:-

(ख) इसी प्रकार, कुछ राज्य सरकारों को भी राजसहायता का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकासी खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का वितरण करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति करने के बदले राजसहायता का भुगतान किया जाता है।

(घ) 1974-75 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने से बने दावों को तय करने के लिए देय राजसहायता।

(ड.) एसयू (टीओएम) अधिनियम, 1978 के अधीन अनुधिसूचित चीनी मिलों के लिए राजसहायता।

(च) 2014-15 के बजट प्राकलन में 115000.00 करोड़ रुपए की खाद्य सस्सिडी के प्रावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 59000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

3. **चीनी के सुरक्षित भंडार के लिए राजसहायता:** यह प्रावधान चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

9. **चीनी इकाईयों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम:** यह प्रावधान सभी भागीदार अनुसूचित कर्मशियल बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, और सहाकारी बैंकों को चीनी कारखानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर, उन्हें पूर्व में चीनी मौसमों के बकाया को चुकाने और केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए नियत उचित और लाभप्रद मूल्य संबंधी गन्ना मूल्यों का समय पर निपटान करने के लिए ब्याज से बचने के लिए है। सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार ब्याज सर्वेक्षण, जिसकी सीमा 12 प्रतिशत एनुअली है, लोन की अवधि के लिए ही है। जो मोरेटोरियम के दो वर्ष सहित पांच वर्ष है। इस निधि को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

इसमें स्कीम में भारत की आकस्मिकी निधि से आहरित 100 करोड़ रु की राशि शामिल है जिसे 2014-15 हेतु अनुदान मांगों को संसद से पारित किए जाने और संबंधित विनियोग विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

10. **अन्य व्यय - चीनी विकास निधि:** यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

11. **चीनी विकास निधि को अंतरण:** चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 मार्च, 2008 से 24 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि के बराबर को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्था है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है। भारतीय लोक

लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपयुक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

12. **अन्य योजनाए - खाद्य, भंडारण और भंडारण:** इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

15. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण और सुदृढीकरण:** यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने, टी.पी.डी.एस. लाभभागियों में जागरूकता लाने के लिए है।

18. **सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में निवेश:** यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता कार्य, जो प्रगति पर है, को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है।

19. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

20. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

21. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

22. **एनहाइड्रस अल्कोहल या इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

23. **गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान खाद्य श्रृंखला और खाद्यान्नों की गुणवत्ता विनिर्देशन में लगे कर्मचारियों के गुणवत्ता कौशल को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

25. **राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को नॉन बिल्डिंग आस्तियों के लिए सहायता:** यह प्रावधान राज्य सरकारों व संघ शासित राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के मद्देनजर राज्य खाद्य आयोग की नॉन बिल्डिंग आस्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लिए स्कीम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।